GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 70
ANSWERED ON TUESDAY THE 24th JULY, 2018

SHORTFALL IN CSR FUNDING

QUESTION

*70. PROF. M. V. RAJEEV GOWDA:

Will the Minister of CORPORATE AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of firms found to have not met their Corporate Social Responsibility (CSR) spending requirements since 2014, year-wise;

(b) whether the Ministry has taken steps to ensure that the requisite expenditure is incurred;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 70

(जिसका उत्तर मंगलवार, 24 जुलाई, 2018 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वित्तपोषण में कमी आना

***70. प्रो. एम. वी. राजीव गौडाः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से अब तक ऐसे प्रतिष्ठानों की, वर्ष-वार, संख्या कितनी है जिन्होंने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत धनराशि व्यय करने संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित धनराशि व्यय की जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

STATEMENT REFERRED TO IN ANSWER TO PART (A) TO (D) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 70 FOR 24TH JULY, 2018 REGARDING SHORTFALL IN CSR FUNDING.

(a) to (d): Every company having net worth of rupees five hundred crore or more, or turnover of rupees one thousand crore or more or a net profit of rupees five crore or more during the immediately preceding financial year shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years in areas or subject, specified in Schedule VII of Companies Act, 2013 (Act.)

The CSR spend position with respect to financial years 2014-15, 2015-16 & 2016-17 (up to 30.11.2017) is as under:

CSR Spent	No. of Companies		
	2014-15	2015-16	2016-17*
More than Prescribed Amount	1,633	3,380	2,203
Prescribed Amount	477	317	19
Less than Prescribed Amount	4,001	6,268	3,718
Zero Spent	8,833	9,219	346
Total No. of Companies	**14,944**	**19,184**	**6,286**
*Filings up to 30.11.2017 have been factored.			

As per second proviso to section 135(5) of the Act, if the company fails to spend the prescribed amount, the Board of a company shall specify the reasons for not spending the amount and disclose the same in its Board Report.

As per the provisions of law, the Company is required to constitute a Committee of the Board to formulate CSR Policy, recommend projects for approval of the Board and monitor execution thereof.

The Registrar of Companies initiates action against non-compliant companies after due examination of records. For the FY 2014-15 prosecutions against 254 were sanctioned out of which 33 companies have filed applications for compounding. Given the large number of companies for which detailed scrutiny is required, the Government has set up a Centralized Scrutiny and Prosecution Mechanism (CSPM) in April 2018. CSPM has been tasked to start with examination of records of top 1000 companies obliged to spend on CSR. Based on scrutiny, preliminary notices have been issued to 272 companies. This is a continuous process and prosecution is filed against companies that have not complied with CSR spend requirements and also not furnished any valid reasons for not spending or under spending.

****

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वित्तपोषण में कमी आने के संबंध में राज्य सभा के दिनांक 24 जुलाई, 2018 के तारांकित प्रश्न सं. 70 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में विवरण

(क) से (घ): तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ या अधिक रुपये के निवल मूल्य या एक हजार करोड़ या अधिक रुपये के कारोबार या पांच करोड़ या अधिक रुपये के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी सुनिश्चित करेगी कि कंपनी द्वारा तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत निवल लाभों का न्यूनतम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-VII में उल्लिखित क्षेत्रों या विषय में व्यय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (दिनांक 30.11.2017 तक) के संबंध में सीएसआर व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :

सीएसआर व्यय	**कंपनियों की संख्या**		
	2014-15	**2015-16**	**2016-17***
निर्धारित राशि से अधिक	1,633	3,380	2,203
निर्धारित राशि	477	317	19
निर्धारित राशि से कम	4,001	6,268	3,718
शून्य व्यय	8,833	9,219	346
कंपनियों की कुल संख्या	**14,944**	**19,184**	**6,286**
*दिनांक 30.11.2017 तक की फाइलिंग की गणना की गई है।			

अधिनियम की धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार, यदि कंपनी निर्धारित राशि व्यय करने में असफल होती है तो कंपनी का बोर्ड राशि व्यय नहीं करने के कारण स्पष्ट करेगा और उसका प्रकटीकरण अपनी बोर्ड रिपोर्ट में करेगा।

कानून के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए सीएसआर नीति बनाने, बोर्ड के अनुमोदन हेतु योजनाओं का सुझाव देने और उसके कार्यान्वयन की निगरानी करने हेतु एक बोर्ड समिति का गठन करना अपेक्षित है।

कंपनी रजिस्ट्रार अभिलेखों की उचित जांच के बाद गैर-अनुपालक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ करता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 254 कंपनियों के खिलाफ अभियोजनों को अनुमति दी गई, उनमें से 33 कंपनियों ने प्रशमन के लिए आवेदन दायर किए हैं। ऐसी कंपनियों जिनकी विस्तृत जांच अपेक्षित है, की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने अप्रैल, 2018 में एक केन्द्रीयकृत जांच और अभियोजन (सीएसपीएम) की स्थापना की है। सीएसपीएम को सीएसआर पर व्यय करने को बाध्य की गई सर्वोच्च 1000 कंपनियों के अभिलेखों की जांच प्रारंभ करने का कार्य दिया गया। जांच के आधार पर, 272 कंपनियों को प्राथमिक नोटिस जारी किए गए। यह एक सतत प्रक्रिया है और ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभियोजन दायर किए जाते हैं जिन्होंने सीएसआर व्यय की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है और व्यय नहीं करने या कम व्यय करने के लिए कोई वैध कारण भी नहीं दिए हैं।

*****